संकल्प

झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची – 834 004

संकल्प

संख्या – 03/म0स0/रा0यो0 – 169/2016– 1522 दिनांक :– 17/06/2016

विषय :– राज्य योजनान्तर्गत झारखण्ड राज्य में निवास करने वाले HIV/AIDS पीड़ित व्यक्तियों के लिए "HIV/AIDS पीड़ित व्यक्तियों के लिए राज्य सुरक्षा पेंशन योजना" की स्वीकृति।

राज्य योजना प्राधिकृत समिति की दिनांक– 24.05.2016 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में राज्य योजनान्तर्गत झारखण्ड राज्य में निवास करने वाली HIV/AIDS पिड़ित व्यक्तियों के लिए "**HIV/AIDS पीड़ित व्यक्तियों के लिए राज्य सुरक्षा पेंशन योजना**" की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है।

2. इस योजनान्तर्गत राज्य में निवास करने वाले HIV/AIDS पीड़ित व्यक्ति जिन्हें केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ न मिल पा रहा हो उसे वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस योजनान्तर्गत पेंशन देय होगा।

3. इस योजना में लाभान्वितों को आच्छादित करने के लिए B.P.L. सूची में नाम तथा वार्षिक आय की सीमा में छुट रहेगी।

4. इस योजनान्तर्गत आवेदक को HIV/AIDS पीड़ित होने संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

5. इस योजनान्तर्गत HIV/AIDS पीड़ित व्यक्ति जो जिला एड्स नियंत्रण सोसाईटी से ART (Antiretroviral Therapy)/ARD (Antiretroviral Drugs) प्राप्त कर रहें है लाभ के हकदार होगें।

6. इस योजनान्तर्गत लाभूकों के चयन एवं पेंशन की स्वीकृति हेतु संबंधित जिलो के सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा को आवेदन पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। आवेदन पत्रों के जाचोंपरान्त अनुशंसा के साथ स्वीकृति हेतु संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी को प्रेषित किया जायेगा। अनुमण्डल पदाधिकारी समीक्षोपरान्त आवेदन पत्र पर स्वीकृति प्रदान करेगें। अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा स्वीकृति के उपरान्त लाभूकों को UID के माध्यम से स्थानीय बैंक/डाकघर में खाता खुलवाकर खातों के माध्यम से उसकी पेंशन राशि रु0 600/– (छः सौ रुपये) प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा।

आदेश :– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाये तथा इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/ सरकार के सभी विभागों/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्तों को भेजी जाये।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह० भाटिया 17/6/16

(मुखमीत सिंह भाटिया)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक – 03/म0स0/रा0यो0 – 169/2016– 1522 राँची, दिनांक – 17/06/2016

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि राजपत्र की 300 मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

मु० भाटिया 17/6/16
(मुखमीत सिंह भाटिया)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक – 03/म0स0/रा0यो0 – 169/2016– 1522 राँची, दिनांक – 17/06/2016

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी अपर मुख्य सचिव/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड, राँची/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड, राँची/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, झारखण्ड/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मु० भाटिया 17/6/16
(मुखमीत सिंह भाटिया)
सरकार के प्रधान सचिव